प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी, एटा, झॉसी, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ, मैनपुरी, इलाहाबाद, बलिया, बहराइच, आजमगढ, पीलीभीत, हाथरस, फैजाबाद तथा शाहजहाँपुर।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष / 25 / 2012–13 / 862-22 दिनांक 26/7/12

विषयः–प्रदेश के 200 बिस्तरों से ज्यादा की क्षमता के जनपद स्तरीय राजकीय चिकित्सालयों में योग विशेषज्ञ की संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

पूरक राज्य कार्य योजना वर्ष 2012–13 में भारत सरकार के अनुमोदन के कम में प्रदेश के 200 बिस्तरों से ज्यादा की क्षमता के निम्नलिखित जनपदों के जनपद स्तरीय राजकीय चिकित्सालयों में योग विशेषज्ञ की वर्ष 2012–13 (31 मार्च 2013 तक) में संविदा पर नियुक्ति की अनुमति प्रदान की जाती है–

कम सं0	जनपद का नाम	चिकित्सालय का नाम	योग विशेषज्ञ पुरूष / महिला
1	लखनऊ	वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ	योग विशेषज्ञ महिला
		बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ	योग विशेषज्ञ पुरूष
		डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, लखनऊ	योग विशेषज्ञ पुरूष
		डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ	योग विशेषज्ञ पुरूष
2	आगरा	जिला महिला चिकित्सालय, आगरा	योग विशेषज्ञ महिला
3	मैनपुरी	जिला महिला चिकित्सालय, मैनपुरी	योग विशेषज्ञ महिला
4	फिरोजाबाद	जिला महिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद	योग विशेषज्ञ महिला
5	मथुरा	जिला महिला चिकित्सालय, मथुरा	योग विशेषज्ञ महिला
6	अलीगढ़	जिला महिला चिकित्सालय, अलीगढ़	योग विशेषज्ञ महिला
7	कानपुर	यू0एच0एम0चिकित्सालय, कानपुर नगर	योग विशेषज्ञ पुरूष
8	मेरठ	पी0एल0शर्मा चिकित्सालय, मेरठ	योग विशेषज्ञ पुरूष
9	एटा	जिला चिकित्सालय, एटा	योग विशेषज्ञ पुरूष
10	हाथरस	जिला संयुक्त चिकित्सालय, हाथरस	योग विशेषज्ञ पुरूष
11	मुरादाबाद	जिला चिकित्सालय, मुरादाबाद	योग विशेषज्ञ पुरूष
12	बरेली	जिला चिकित्सालय, बरेली	योग विशेषज्ञ पुरूष
13	गोरखपुर	जिला चिकित्सालय, गोरखपुर	योग विशेषज्ञ पुरूष
14	वाराणसी	एस0एस0पी0जी चिकित्सालय, वाराणसी	योग विशेषज्ञ पुरूष
15	झांसी	जिला चिकित्सालय, झांसी	योग विशेषज्ञ पुरूष
16	इलाहाबाद	टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद	योग विशेषज्ञ पुरूष
17	बलिया	जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, बलिया	योग विशेषज्ञ पुरूष
18	बहराइच	जिला चिकित्सालय, बहराइच	योग विशेषज्ञ पुरूष
19	आजमगढ़	जिला चिकित्सालय, आजमगढ़	योग विशेषज्ञ पुरूष
20	शाहजहांपुर	जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर	योग विशेषज्ञ पुरूष
21	पीलीभीत	जिला चिकित्सालय, पीलीभीत	योग विशेषज्ञ पुरूष
22	फैजाबाद	जिला चिकित्सालय, फैजाबाद	योग विशेषज्ञ पुरूष

--- 2

2. संविदा पर नियुक्त किए जाने वाले योग विशेषज्ञ चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रोगियों की योग के माध्यम से उपचार में सहायता करेगें।

3. योग विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सालय में भर्ती रोगियों की सूची सम्बन्धित चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त की जाएगी। प्राप्त सूची के अनुसार रोगियों से सम्पर्क कर योग से सम्बन्धित उपचार की जानकारी देने के साथ योग विशेषज्ञ द्वारा यह भी पूछा जायेगा कि क्या वह रोगी चिकित्सालय में चल रहे उपचार के साथ योग के माध्यम से उक्त उपचार में सहायता प्राप्त करना चाहता है।

4. सहायता चाहने वाले रोगी की सूची तैयार करने के उपरान्त योग विशेषज्ञ द्वारा रोगी को रोग के अनुरूप आवश्यक योगासन, प्राणायाम एवं पथ्य आदि की जानकारी दी जाएगी। चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए हॉल अथवा साफ–सफाई युक्त चिकित्सालय परिसर के मैदान में उन रोगियों को योग के अनुरूप योगासन, प्राणायाम एवं पथ्य आदि योग विशेषज्ञ द्वारा कराया जाएगा।

5. योग विशेषज्ञ द्वारा योग द्वारा उपचारित रोगी का एक रजिस्टर भी बनाया जाएगा जिसमें रेागी का नाम, पता, रोग एवं योग के उपचार से लाभ की स्थिति भी अंकित की जाएगी।

6. समय–समय पर जिला कार्यकारी समिति द्वारा तय किये गये कार्यक्रम के अुनसार स्कूली बच्चों एवं सरकारी डॉक्टर्स/अन्य अधिकरियों/कर्मचारियों हेतु योग शिविरों का आयोजन रोग से बचाव की दृष्टि से कराया जायेगा। इसके लिए 'योग द्वारा कैसे स्वस्थ्य जीवन जियें' इस विषय पर जन जागरूकता भी की जायेगी।

7. संविदा पर नियुक्त किए जाने वाले योग विशेषज्ञ का चयन जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जायेगा–

1) मुख्य चिकित्साधिकारी–सदस्य सचिव
2) जिला आयुर्वेद चिकित्साधिकारी–सदस्य
3) जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0–सदस्य

8. विज्ञापन स्थानीय बहुप्रसार संख्या वाले समाचार पत्र के माध्यम से जिसके जरिये प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के एक सप्ताह के अन्दर इन्टरव्यू के जरिये चयन करने की प्रकिया 31 अगस्त 2012 तक पूर्ण कर ली जाए।

9. संविदा पर अनुबन्धित किए जाने वाले योग विशेषज्ञ की शैक्षिक योग्यता 3 वर्ष के अनुभव के साथ योग में दो वर्षीय डिग्री अथवा 5 वर्ष के अनुभव के साथ योग में एक वर्षीय पी0 जी0 डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविघालय से होगी। नैचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर आदि का अतिरिक्त ज्ञान रखने वाले योग विशेषज्ञ को वरीयता दी जाएगी।

10. योग विशेषज्ञ का मासिक मानदेय रू0 24000.00 प्रति माह होगा।

11. योग विशेषज्ञ का संविदा अनुबन्ध संलग्न संविदा पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 में 31 मार्च 2013 तक के लिए जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाएगा।

12. अनुबन्धित किए गए योग विशेषज्ञ की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर फैक्स संख्या 0522–2237574 पर तथा उक्त की स्कैन्ड प्रति ई–मेल mdupnrhm@gmail.com पर अनुबन्ध किए

---- 3

जाने के पश्चात् तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे भारत सरकार के द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश के कम में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर उसे अपलोड किया जा सके–

क्र0 सं0	कर्मी का नाम	स्थायी पता तथा मोबाइल नम्बर/ई–मेल	पद नाम	शैक्षिक योग्यता	शिक्षण संस्थान/ विश्वविद्यालय का नाम, जनपद एवं राज्य सहित	अनुबन्ध का दिनांक	कार्य स्थल	टिप्पणी

13. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

26/07/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष/25/2012–13/862-22/8 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।

26.07.12

(डॉ0 अनिल कुमार मिश्र)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यकम एवं आयुष